



273

## न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

क्रमांक 3203-4/15

प्रकरण क्रमांक :

/निगरानी/2015-टीकमगढ

सीताराम तनय चैपा गड़रिया  
निवासी ग्राम भोजपुरा तह. निवाड़ी  
जिला टीकमगढ (म0प्र0)

----- प्रार्थी

विरुद्ध

म0प्र0 शासन



----- प्रतिप्रार्थी

आवेदन पत्र निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर  
सागर संभाग सागर आदेश दिनांक 24.08.2015 पारित प्रकरण  
क. 111/अ-67/2013-14 अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-रजस्व संहिता

श्रीमान जी,

प्रार्थी की ओर से आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

- (1) यहकि, अवैध उत्खनन के बावत धारा 247 के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही प्रचलन योग्य नहीं थी और न कार्यवाही में उसे अथवा विवादित भूमि से लगे भूमि स्वामियों को मौके की जाँच किये जाने के पूर्व कोई सूचना नहीं दी और न प्रार्थी विवादित भूमि का भू-स्वामी है । इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार नहीं किये जाने के कारण पारित आदेश विचाराधिकार रहित होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।
- (2) यहकि, विवादित भूमि सर्वे नं. 5 रकवा 6.621 है0 में से अवैध उत्खनन न किये जाने का प्रार्थी को आरोपी बनाया है । शासन साक्ष्य में ही यह तथ्य स्वीकार किया है कि विवादित भूमि का भू-स्वामी नहीं है और न पटवारी के साथ राजस्व रिकार्ड के अनुसार स्थल का सीमांकन आदि कार्यवाही नहीं की गई । यह तथ्य भी अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष साक्ष्य में आया है । विवादित भूमि के सम्बन्ध में श्री अजय माखरे को




राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3202-दो/15



जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-2-2017	<p>उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 111/अ-67/13-14 में पारित आदेश दिनांक 24-8-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि घटना उत्खनन दिनांक 14-4-2003 की स्थिति में भूमि के वास्तविक स्वामी पन्ना, चैम्पा, रामस्वरूप, महादेव, गयाप्रसाद बालकिशन एवं कामता थे जो कि राजस्व अभिलेखों में शामिल सरीक दर्ज थे तथा उक्त सहखातेदारों के मध्य किसी प्रकार का बटवारा नहीं हुआ था। स्थल निरीक्षण दिनांक 14-3-2003 की स्थिति में निरीक्षणकर्ताओं द्वारा उक्त खातेदारों को निरीक्षण के पूर्व अथवा पश्चात किसी भी प्रकार की कोई जानकारी एवं कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित नहीं किये। बल्कि आवेदक को ही अवैध उत्खनन के लिए अभियोजित किया जाने का प्रस्ताव किया तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी अपने आदेश में मात्र आवेदक के विरुद्ध ही आदेश पारित किया जाकर अर्थदण्ड अधिकारोपित किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि निरीक्षण के दौरान आवेदक की अनुपस्थिति में किया गया था मौके पर केवल विभागीय लोगों की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया है।</p>	






विभागीय लोगों की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया है। पंचनामा में भी पंचों के हस्ताक्षर नहीं है मात्र एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर है एवं शासकीय निरीक्षण दल के लोगों के हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति में निरीक्षण दल द्वारा बनाये गये पंचनामा को विधिअनुसार तैयार किया जाना नहीं माना जा सकता है। इस प्रकरण में महत्वपूर्ण बिन्दु यह भी है कि निरीक्षण दिनांक 14-3-2003 की स्थिति में उक्त वर्णित भूमि पर आवेदक का न तो कोई स्वत्व था न ही कोई आधिपत्य धारक था और न ही उक्त भूमि आवेदक के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। जिन व्यक्तियों के नाम से प्रश्नाधीन भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं जिनके द्वारा उक्त भूमि पर उत्खनन किया जाता है उन व्यक्तियों को जांच के दौरान किसी प्रकार का कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया और न ही कोई कथन लेख किये गये। साक्ष्यों के प्रतिपरीक्षण के समय साक्षियों द्वारा यह स्वीकार किया है कि जांच के समय आवेदक को नहीं पाया न ही पंचनामा की कार्यवाही के समय आवेदक को बुलाया गया सारी कार्यवाही आवेदक की अनुपस्थिति में की गई। उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा की गई निरीक्षण कार्यवाही एवं पारित विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत जाकर की गई है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ने म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 247(7) में निहित प्रक्रिया के नियम एवं उनका पालन न कर केवल अनुमान एवं अटकलों के आधार पर जांच कर आवेदक पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अतिरिक्त कमिश्नर

द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को सरसरी तौर पर मात्र अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को आधार मानकर निष्कर्ष निकालने में अवैधानिकता की गई है। इसलिए अतिरिक्त कमिश्नर का आदेश भी विधिअनुकूल नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर का आदेश दिनांक 24-8-2015 एवं अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी जिला टीकमगढ़ का आदेश दिनांक 24-8-2015 अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाते हैं एवं आवेदक के विरुद्ध अधिरोपित किया गया अर्थदण्ड भी निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दायित्व रिकार्ड हो।

*gpc*

  
(एम0क0 सिंह)  
सदस्य